File No.SVPNPA-ESST0A-5(E597)/1/2018-O/o AD(ESTT.)

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad– 500 052.

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff -Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No. 19011/ 1/2009/Estt/RRs / MTS/A-5 Dated 11th May, 2018

Signature valid

Digitally signed by K
MADHUKAR SHETTY
Date: 2018.05.11 1?:22:37 IST
Reason: Approved

MTS

पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** — उक्त भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

पूर्वोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	50*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर — 1 (रू. 18000—56900)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के

					अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गयी है) (रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।)

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिप्लोमा या समतुल्य।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसका परिमाण क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 2 और श्रेणी 3, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा सं. 23011/17/2012–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2018

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Police Training College (Non-gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959, in so far as it relate to the posts of Junior Gestetner Operator and Daftry, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Mali) Recruitment Rules, 1986 and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Sweepers (Safai Karamachari) Recruitment Rules, 1986, the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Peon) Recruitment Rules, 1987, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Bhisty Recruitment Rules, 1987 except as respects things done or

omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix -**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff.	50* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-"C" Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing dated prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

					(In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation from any Board or Industrial Training Institute diploma from any recognised Institute or equivalent.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Chairman 2. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Member 3. Administrative Officer Grade-II and III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/17/2012-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के रेडियो टेक्नीशियन भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में रेडियो टेक्नीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (रेडियो टेक्नीशियन) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।